राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट – हि0डोली

क्रमांक/भू0राजस्व/क0रा0/2024/ 967 दिनांक :– 19/07/2024

आदेश

यतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का एक प्रस्ताव तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक राजस्व/1928 दिनांक 19/07/24 द्वारा हाजा कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित कदीमी रास्ते का विवरण निम्न अनुसार हैः–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	निजी/राजकीय	खसरा नम्बर से गुजरने वाले रास्ते की ल0 व चौ0	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टेयर में)	अन्य कोई विशेष विवरण
हरिपुरा	21	राजकीय	510x15→7650 वर्गफीट	0.0710	
—॥—	39	राजकीय	435x15→6526 —॥—	0.0606	
—॥—	40	राजकीय	375x15→5625 —॥—	0.0523	
—॥—	53	राजकीय	325x15→4875 —॥—	0.0452	
रास्ते की कुल लम्बाई			1645x15→24675 वर्गफीट	0.2292	

यतः प्रकरण मे उक्त कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का प्रस्ताव ग्राम सभा मे लेकर सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिसकी प्रमाणित प्रति एवं संबंधित ग्राम पंचायत की अनापत्ति अभिशंषा के साथ पत्रांक 2024-25/51 दिनांक 15/07/2024 से हाजा कार्यालय को प्राप्त हुई है।

यतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को प्रदत्त है। लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

अतः मै विनोद कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की शक्तियों के अन्तर्गत उक्त कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का प्रस्ताव स्वीकार कर आदेश देता हूँ कि तहसीलदार हिण्डोली उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार अंकन कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। **यदि उक्तानुसार प्रस्तावित कदीमी रास्ता मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से होकर गुजर रहा है तो मुताबिक मौका राजस्व**

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रिकार्ड में पृथक से तितम्बा काटकर अलग खसरा संख्या प्रदर्शित कर खसरे की भूमि किस्म मे बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किये राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक **10.08.2016** के अनुसार अंकन कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– कदीमी रास्ते के प्रस्ताव की प्रति 01

(विनोद कुमार मीणा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, डिग्गोली
जिला – बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
डिग्गोली

क्रमांक / भू0राजस्व / क0रा0 / 2024 / 968-970 दिनांक :– 19/07/2024

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला बून्दी।
2. तहसीलदार डिग्गोली जिला बून्दी।
3. रक्षित पत्रावली।

(विनोद कुमार मीणा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी-डिग्गोली
जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
डिग्गोली